BEFORE THE HON'BLE REVENUE BOARD M.P. GWALIOR

REVISION NO. /2013 R 409-I/13

Petitioner/ Applicant	:	Budhdulal Soni, S/o late Shri Damrilal Soni, aged about 80 years, President Samta Sansthan, Barhi, District Katni, M.P.
		Versus
Respondent/ Non-Applicant	:	State of Madhya Pradesh Through Collector, District Katni, M.P

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE 1959

The petitioner named above, being aggrieved by the order dated 08.11.2012 passed by the Additional Commissioner Jabalpur Division Jabalpur in Appeal No. 585/A-19/10-11 arising out of the order dated 08.11.2010 passed by the collector Katni in Revenue case no. 06/A-19/2010-11, prefers this revision on the following facts and grounds inter-alia:-

Fact of the Revision

1. That, petitioner is Social Worker, devoted and committed for the betterment and upliftment of the weaker section of the society. The petitioner was granted land of Khasra no. 1273 (old Khasra no. 793) Rabuqa 0.70 hectare situated at village Khanna Banjari Tehsil, District Katni, for plantation. The petitioner complying the terms and conditions the grant and remain in possession continuously.

2. That, the petitioner in association with life minded social workers and devoted persons, formed a society named Samta Sansthan Bahri District Katni. The petitioner is the founder member and motivating person behind the formation of society. The said society is al...

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 409–एक/13 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–12–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी नायब अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 585/अ–19/10–11 में पारित आदेश दिनांक 8–11–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक संस्था को ग्राम खन्न बंजारी तहसील बरही स्थित भूमि पुराना खसरा नं. 793 नया खसरा नं. 1273 रकबा 0.70 हैक्टर तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–3–85 द्वारा संहिता की धारा 239 के तहत वृक्षारोपण हेतु विहित शर्तों पर दी गई थी । आवेदक संस्था द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिए जाने हेतु आवेदन पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच कराई गई एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । जांच में यह पाया गया कि आवेदक संस्था द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर विभिन्न निर्माण किए गए हैं जबकि अनुज्ञा आदेश में यह उल्लेख था कि प्रश्नाधीन भूमि शासन की रहेगी तथा निस्तार खुला रहेगा । संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न करने से वृक्षारोपण के लिए दी गई अनुज्ञा समाप्त हो चुकी है । विचारण न्यायालय द्वारा भूमि बंटन का आवेदक संस्था का आवेदन आदेश दिनांक 8–11–10 द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक संस्था द्वारा अधीनस्थ	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । 2/ प्रकरण में सुनवाई दिनांक 28–9–16 को पक्षकारों को 10 दिवस में लिखित बहस पेश करने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । 4/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए आधारों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोचय आदेशों का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 8–11–2010 इस आधार पर स्थिर रखा गया है कि आवेदक संस्था को भूमि पर वृक्षारोपण की अनुज्ञा दी गई थी, किंतु उसने शर्तों का उल्लंघन कर उस पर निर्माण कार्य किया है । उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि निस्तार की भूमि से संबंधित विधिक प्रावधानों का आवेदक द्वारा सम्मान न करते हुए उस पर अतिकमण कर निर्माण कार्य किये हैं जिसके कारण कलेक्टर ने अतिकमण हटाने की कार्यवाही भी संस्थित की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा आवेदक का भूमि बंटन का आवेदन निरस्त करने में विधिक कार्यवाही की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा भी कलेक्टर के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि करने में कोई अवैधानिकता नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो । सदस्य	